उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-64/2008-09

मिलन कुमार मिश्रा वगै0

बनाम्

प्रहलाद झा वगै0

—: आदेश :—

दिनांक 18/08/09

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता मिलन कुमार मिश्रा वो मयंक कुमार मिश्रा, पे0—स्व0 निरंजन मिश्रा, सा0—कसवा, थाना—मेहरमा, जिला—गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के क्रि0मीस0 केश नं0—666/2007 आदेश दिनांक—23.10.08 के विरूद्ध अपील आवेदन दाखिल किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने क्रि0मीस0 केश नं0—666/2007 आदेश दिनांक—23.10.08 के द्वारा मौजा—कसवा नं0—54, 56, 58 के दाग नं0—623 की अतिक्रमित जमीन से अपीलकर्त्ता को हटाने के लिए अंचल अधिकारी, मेहरमा को आदेश दिया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी प्रहलाद झा के आवेदन पर मौजा कसवा नं0—54, 56, 58 के दाग नं0—623 की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रक्रिया चलाया गया। गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के अनुसार दाग नं0—623 की जमीन गैरमजरूआ की जमीन है। उक्त जमीन पर प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के बाद अपीलकर्त्ता न्यायालय में उपस्थित हुए एवं अपना कारण—पृच्छा दाखिल किया। इसके बाद निम्न न्यायालय के द्वारा अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। लम्बा अंतराल के बाद भी अंचल अधिकारी, मेहरमा एवं अमीन मेहरमा के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है। जब अपीलकर्त्ता घर से बाहर थे, तब उत्तरवादी नं0—1 ने अंचल अमीन से मिलकर अपीलकर्त्ता के विरूद्ध एक टेबुल रिपोर्ट तैयार करवाया एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अपीलकर्त्ता को सुने बिना निम्न न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया है। उनका आगे कथन है कि मौजा के रास्ता की जमीन को भी अन्य व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है एवं अमीन के द्वारा उन

अतिक्रमणकारियों का नाम छोड़ दिया गया है। इस संबंध में अपीलकर्त्ता ने निम्न न्यायालय में उन अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध में आपत्ति भी किया था। लेकिन अपीलकर्त्ता के आपत्ति पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कसवा थाना नं0–54, 56, 58 गैरमजरूआ सं0–158 के दाग नं0–623 रकवा 08–01–02 धुर जमीन गत सर्वे खतियान के अनुसार रास्ता की जमीन है। उत्तरवादी एवं अन्य व्यक्तियों के लिए आवागमन का रास्ता है। लेकिन अपीलकर्त्ता एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा उक्त जमीन का अतिक्रमण किया गया है। उत्तरवादी सं0–1 ने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–109/रा0 दिनांक–09.02.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–कसवा नं0–54, 56, 58 अनावादी खाता सं0–158 दाग नं0–623 रकवा 08–01–02 धुर किस्म रास्ता कहकर सर्वे खतियान में दर्ज है। अंचल अमीन से उक्त वाद सं0–64/08–09 में स्थल मापी कराया गया। मापी के क्रम में पाया कि उक्त दाग नं0–623 के अन्तर्गत मिलन कुमार मिश्रा के भाई मयंक कुमार मिश्रा एवं अन्य तीन व्यक्तियों के मकान का आंशिक भाग अतिक्रमण में है। मिलन कुमार मिश्रा एवं मयंक कुमार मिश्रा सहोदर भाई हैं जो साथ में रहते हैं। वर्तमान में मिलन कुमार मिश्रा घर से बाहर महेशपुर में रहते हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–कसवा थाना नं0–54, 56, 58 के गैरमजरूआ खाता नं0–158 दाग नं0–623 रकवा 08–01–02 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में रास्ता कहकर दर्ज है। उक्त जमीन का अतिक्रमण निम्न व्यक्तियों के द्वारा किया गया है :–

क्र0	अतिक्रमणकारी का नाम एवं पता	मौजामय थाना सं0	गैरमजरूआ खाता सं0	खेसरा सं0	किस्म	अतिक्रमित रकवा	अतिक्रमित का स्वरूप
1.	मयक कुमार मिश्रा, पे0–स्व0 निरंजन मिश्रा	कसवा नं0–54, 56, 58	158	623	रास्ता	88 वर्ग फीट	ईंट दिवाल उपर करकट
2.	मुकुट कुमार मिश्रा, पे0–स्व0 निलकंठ मिश्रा	कसवा नं0–54, 56, 58	158	623	रास्ता	22 वर्ग फीट	ईंट घेरा
3.	सुभाष चन्द्र मिश्रा, पे0–स्व0 जगदानंद मिश्रा	कसवा नं0–54, 56, 58	158	623	रास्ता	45 वर्ग फीट	छज्जी पक्का
4.	मिथलेश कुमार मिश्रा, पे0–स्व0 गजदानंद मिश्रा	कसवा नं0–54, 56, 58	158	623	रास्ता	30 वर्ग फीट	छज्जी पक्का

स्पष्ट है कि उक्त जमीन सार्वजनिक उपयोग की रास्ता की जमीन है। अतिक्रमण के कारण आम जन के आवागमण में परेशानी हो सकता है। इस निमित निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता मिलन कुमार मिश्रा एवं अन्य के द्वारा किया गया अतिक्रमण को हटाने के लिए आदेश दिया गया है। मिलन कुमार मिश्रा के भाई मयंक कुमार मिश्रा एवं अन्य तीन व्यक्तियों के मकान का आंशिक भाग अतिक्रमण में है। मिलन कुमार मिश्रा एवं मयंक कुमार मिश्रा सहोदर भाई हैं जो साथ में रहते हैं। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के क्रि0मीस0 केश नं0–666/2007 में दिनांक–23.10.2008 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, मेहरमा को आदेश दिया जाता है कि दो माह के अंदर अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराकर अनुपालन से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

18/08/17

उपायुक्त,
गोड्डा।

18/08/17

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 15:33:55 +05:30
Location: 192.168.29.32

RMA No. 64-2008-09